

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग-6
संख्या-3/2017/647/29-6-2017-27रिट/17
लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या 3253/2017-राम लखन बनाम 30प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 29-03-2017 के अनुपालन में दिनांक 30-03-2017 को आयुक्त कार्यालय द्वारा मा0 न्यायालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में मा0 न्यायमूर्ति द्वारा इंगित विसंगतियों के निवारणार्थ, विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों को वास्तविक रूप से गठित कराने, इन्हें सुचारू रूप से संचालित कराने, इनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित कराने एवं त्रुटि रहित रूप से इन्हें आम जनमानस के संज्ञान में लाये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करने और कृत कार्यवाही की प्रगति से साप्ताहिक रूप से शासन को अगवत कराने हेतु श्री रवीन्द्र कुमार, अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-647(1)/29-6-2017-27रिट/17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।